

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निगत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

संलग्न है

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1102/XIII(II)/2013-46(01)/2013 दिनांक 28.11.2013 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वन विभाग हल्द्वानी के प्लॉट संख्या 150 हे० भूमि में से निर्दिष्ट 10 हे० भूमि सचिव, मण्डी समिति, हल्द्वानी को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने की सम्मति है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
हल्द्वानी (नैनीताल)

2- उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी विपणन बोर्ड, संख्या 407/उपनिर्देश/मण्डी/हल्द्वानी मण्डी विस्तार (682)/2014-2374 दिनांक 28.08.2014 के सम्बन्ध में भुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 10 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु इस पत्र के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है कि हस्तान्तरित होने वाली भूमि पर होने वाले निर्माण पर सम्पूर्ण व्यय मण्डी बोर्ड के माध्यम से मण्डी समिति हल्द्वानी के द्वारा किया जायेगा।

3- शासन द्वारा उक्त निर्माण हेतु कोई वित्तीय अनुदान अनुमत्य नहीं करया जायेगा।

महोदय,

(एस० रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 651 (I)/XIII(II)/2013-46(01)/2013 तदुद्दिनांकित

प्रतिनिधि प्रतिनिधि निर्दिष्टित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी विपणन बोर्ड, कटहपुर (उधमसिंहनगर)
2. सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तरण के बादवा में वन विभाग से सम्बन्ध करते हुए हस्तान्तरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. फाइल में।

आज्ञा से

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।

संख्या : 651/XIII(II)/2013-46(01)/2013

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2014

विषय: मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग हल्द्वानी के प्लॉट संख्या 150 है0 भूमि में से चिन्हित 10 है0 भूमि सचिव, मण्डी समिति, हल्द्वानी को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 1102/XIII(II)/2013-46(01)/2013 दिनांक 26.11.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन विभाग हल्द्वानी के प्लॉट संख्या 150 है0 में अवस्थित 10 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हल्द्वानी मण्डी स्थल के विस्तारीकरण हेतु सचिव, मण्डी समिति हल्द्वानी को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी विपणन बोर्ड, रुद्रपुर के पत्र पत्र संख्या उ0कू0उ0वि0बो0/भू0अधि0/हल्द्वानी मण्डी विस्तार (682)/2014-2374 दिनांक 28.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 10 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु इस शर्त के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है कि हस्तान्तरित होने वाली भूमि पर होने वाले निर्माण पर सम्पूर्ण व्यय मण्डी बोर्ड के माध्यम से मण्डी समिति हल्द्वानी के द्वारा किया जायेगा।

3- शासन द्वारा उक्त निर्माण हेतु कोई वित्तीय अनुदान अनुमन्य नहीं कराया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 651 (1)/XIII(II)/2013-46(01)/2013 तददिनांकित

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मण्डी विपणन बोर्ड, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
2. सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन विभाग से समन्वय करते हुए हस्तान्तरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।





उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

फोन
05944-250058
फैक्स: 05944-250059

पत्रांक :उ0वि0बो0 / भू0अधि0 / हल्द्वानी0विस्ता0(682) / 2014-23

दिनांक 10/05/2014

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषय:- मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग हल्द्वानी के प्लॉट संख्या 150 है0भूमि में से चिन्हित 10 है0 भूमि,सचिव, मण्डी समिति हल्द्वानी को हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर वन प्रमुख संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, इन्द्रा नगर देहरादून को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या 651/XIII(II)/2013-46(01)/2013 दिनांक 11 सितम्बर 2014 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। सन्दर्भित शासनादेश द्वारा बोर्ड पत्रांक 2374 दिनांक 28.08.2014 के क्रम में मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 10 है0 वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र के क्रम में उक्त भूमि पर होने वाले निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। हस्तांतरित होने वाली भूमि पर होने वाले निर्माण पर सम्पूर्ण व्यय मण्डी बोर्ड के माध्यम से मण्डी समिति हल्द्वानी के द्वारा किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
संलग्नक:यथोपरि।

(धीराज सिंह गर्बाल)
प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन सं0 एवं तददिनांक:यथोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र के क्रम में उक्त वन भूमि को सचिव, मण्डी समिति हल्द्वानी को हस्तान्तरित/आवंटित करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर।
4. उपनिदेशक(प्रशासन) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर।
5. अध्यक्ष, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी(नैनीताल)।
6. गार्ड फाइल/सूचना प्रकोष्ठ।

प्रबन्ध निदेशक